



पत्रावली सं0-80-2099/23/2025

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

संख्या-01/2026/3360099/अस्सी-2-2026

लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि फर्म मै0 श्री जी ट्रेडर्स, पता-सालारपुर बाहर चक्कर रोड, तहसील व जिला बिजनौर के स्वामित्वाधीन प्रस्तावित स्थल पता-गाटा संख्या-100 ग्राम सालारपुर बाहर चक्कर रोड, तहसील व जिला बिजनौर का नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट समस्त प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, गुड़, मसाले, फलों एवं सब्जियों के थोक सौदों हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की खसरा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिजनौर के मण्डी क्षेत्र में स्थित ग्राम सालारपुर बाहर चक्कर रोड, तहसील व जिला बिजनौर के गाटा संख्या-100 के कुल 2.7360 हे० भूमि क्षेत्रफल में से 4840 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल।

- पूरब - चक मार्ग एवं नाली गाटा संख्या 231 व 101
पश्चिम - आराजी समर पाल (विस्तारा वैकट हाल)
उत्तर - आराजी राजन चौधरी, विक्रान्त चौधरी आदि गाटा संख्या 100
दक्षिण - सड़क पक्की गाटा संख्या 236

आज्ञा से,

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2026/3360099/अस्सी-2-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 12 मार्च, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2) निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र०।
- 3) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०।
- 4) जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 5) सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बिजनौर।
- 6) सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा०/विप०), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मुरादाबाद।
- 7) सहायक कृषि विपणन अधिकारी, मुरादाबाद।
- 8) ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, बिजनौर।
- 9) श्रीमती कृष्णा सक्सेना पत्नी श्री लाल बहादुर सक्सेना की फर्म मै० श्री जी ट्रेडर्स, पता ग्राम सालारपुर, बाहर चक्कर रोड, तहसील व जनपद बिजनौर।
- 10) गार्ड बुक।

रामप्रीत प्रसाद

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan

Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.-01/2026/3360099/80-2-2026 Dated 12 March,2026

NOTIFICATION

No.- 01/2026/3360099/80-2-2026

Lucknow Dated 12 March,2026

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhinyam, 1964 (U.P. Act No.25 of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare that the area mentioned below at the proposed site address- Gata no. 100 Village Salarpur Bahar Chakkar Road, Tehsil and District Bijnor owned by the firm M/s Shri. Ji. Traders, address- Salarpur Bahar Chakkar Road, Tehsil and District Bijnor, shall function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified all types of food grains, pulses, Oilseeds, Jaggery, Spices, Fruits and Vegetables for a period of twenty years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

4840 Sq.mt. land area out of the total land area of 2.7360 hectare of Gata no. 100, located within Market area of Agricultural Produce Market Committee, Bijnor.Village-Salarpur Bahar Chakkar Road, Tehsil and District Bijnor

East - Chak marg and Nali Gata no. 231 & 101

West - Arajai Samar Pal (Vistara Banquet Hall)

North - Arajai Rajan Chaudhary, Vikrant Chaudhary etc. Gata No.100

South - Sadak Pakki Gata no.236

By Order,

Ravinder

Principal Secretary.